1027
16/2/13

खण्ड-4

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या-6

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्य़वाही प्रश्नोत्तर सहित)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 22 दिसम्बर, 1995 ई०

प्रतिपादित ऋण राहत योजना के अनुरूप कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 90 दिनांक 15 जून, 1990 से लागू की थी जिसके अंतर्गत 10,000/-. सूद सहित की राशि की परिसीमा के अंदर 2.10.86 के पूर्व के अतिदेय की राशि स्वतः माफी समझी जाएगी किन्तु 2.10.86 से 2.10.89 के बीच का अतिदेय मात्र उसी ऋणकर्त्ता के लिए जिसके मामले में इस अवधि में कम से कम दो वर्ष खराब फसल वर्ष रहा हो और उसके संबंध में अनावरी घोषित किया गया हो, ऋण माफ किया जाएगा। खराब फसल वर्ष का अर्थ यह दिया गया कि उपज का वह वर्ष जिसमें खरीप अथवा रबी अथवा दोनों के लिए कृषि उपज वास्ते घोषित अनावरी सामान्य उपज का पचास प्रतिशत से कम था।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पंडौल प्रखंड के किसानों को 2.10.86 के पूर्व के अतिदेय राशि मो० 30.04 लाख की माफी की जा चुकी है।

अंचलाधिकारी पंडौल के प्रमाण-पत्र के अनुसार पंडौल प्रखंड में वर्ष 87-88 फसल वर्ष में फसल की पूर्ण क्षति हुई है। वर्ष 86-87 एवं 88-89 में फसल की क्षति नहीं दिखलाई गई है। जबकि योजना के शर्त्तों के अनुसार कम से कम दो फसल वर्ष में होना आवश्यक है। इस कारणवश 2.10.86 से 2.10.89 के बीच का अतिदेय ऋण योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता नहीं प्राप्त करता है। अतः इन अतिदेयों की माफी नहीं हो गयी।

3. प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्रामीण विकास अभिकरण का सृजन

*सामु-152 **श्री प्रयाग चौधरी** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिला का विधिवत् गठन हो चुका है लेकिन जिला ग्रामीण

विकास अभिकरण का सृजन लक्खीसराय जिला में नहीं हुआ है;

2. यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लक्खीसराय जिला में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सृजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग–1. (1) और (2) राजकीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4970 दिनांक 21.8.95 द्वारा पाँच नवसृजित जिला यथा पाकुड़, कोडरमा, लक्खीसराय, शेखपुरा एवं शिवहर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विधिवत गठन हो चुका है।

दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई करना

*प्र–82 **श्री प्रशांत कुमार** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

1 क्या यह बात सही है कि विभागीय साल–बल्ला को अभियंताओं द्वारा चोरी किये जाने पर कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2 खगड़िया ने पत्रांक 127 दिनांक 31 दिसम्बर 94 द्वारा सदर थाना प्रभारी, खगड़िया को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जप्त किये गये साल–बल्ला अभी भी सदर थाने के कैमपस में रखा हुआ है।

2 यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग–1. उत्तर अस्वीकारात्मक है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्र०–2, खगड़िया द्वारा अपने प्रासंगिक पत्रांक–127 दिनांक 31–12–1994 द्वारा थाना प्रभारी खगड़िया से यह सूचना मांगी गई है। कि क्या उनके प्रमण्डल से साल–बल्ला की चोरी